पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

आपराधिक विविध संख्या-14680/2016

बेगुसराय शहर थाना कांड संख्या-60/2015 जिला-बेगुसराय से उत्पन्न

==========

1. इला देवी, पति- बंटी सिंह
2. डॉली देवी, पति- उत्तम कुमार
3. अनु देवी, पति- नीरज कुमार
4. सूरजमणि देवी, पति- दिनेश प्रसाद शर्मा
5. दिनेश प्रसाद शर्मा, पिता- स्वर्गीय राजनंदन सिंह
   सभी निवासी गाँव-उत्तर सेरथू, थाना - काको पाली, जिला-जहानाबाद

... . याचिकाकर्तागण

बनाम

1. बिहार राज्य
2. श्वेता सिंह, पुत्री- उमेश सिंह, मोहल्ला - मुंगेरीगंज, हीरा लाल चौक, थाना नगर, जिला-बेगुसराय

.... विपक्षीगण

==========

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से	:	श्री गिरीश चंद्र झा, अधिवक्ता
		श्री आशीष, अधिवक्ता
राज्य की ओर से	:	श्री उपेंद्र कुमार, अपर लोक अभियोजक
विपक्षी संख्या-2 की ओर से	:	श्री अजय कुमार ठाकुर, अधिवक्ता
		श्री प्रवीण कुमार, अधिवक्ता
		सुश्री नाजिया शबाह, अधिवक्ता
		सुश्री काजल कुमारी, अधिवक्ता

==========

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत याचिका - सामान्य और सर्वव्यापी आरोप - विशिष्ट आरोपों की अनुपस्थिति - दहेज

कानूनों का दुरुपयोग - न्यायिक आवेदन - *न्यायालयों को न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और न्याय के लक्ष्यों को सुरक्षित करने के लिए अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए, खासकर जहां आरोपों में ठोस सबूत नहीं हैं - दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा - ससुराल वालों के खिलाफ सामान्य आरोपों की जांच की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वैवाहिक विवादों का इस्तेमाल दुर्भावनापूर्ण तरीके से गैर-भाग लेने वाले परिवार के सदस्यों को फंसाने के लिए नहीं किया जाता है (संदर्भ दिया गया: - कहकशां कौसर @ सोनम बनाम बिहार राज्य [(2022) 6 एससीसी 599] - (पेप्सी फूड्स लिमिटेड बनाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट [(1998) 5 एससीसी 749] - हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल [किसी अभियुक्त को समन भेजने के लिए सावधानीपूर्वक न्यायिक विचार-विमर्श की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से दहेज-संबंधी विवादों के मामलों में, जिनमें गैर-प्रत्यक्ष भागीदार शामिल हों।*

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

न्यायालय : माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार
मौखिक निर्णय
दिनांक : 27-06-2024

वर्तमान याचिका आ.दं.सं. की धारा 482 के तहत विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बेगुसराय द्वारा शहर थाना कांड संख्या-60/2015 में दिनांक 17.12.2015/04.01.2016 को पारित विवादित आदेश को रद्द करने करने के लिए दायर की गई है जिसमें विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बेगुसराय ने भारतीय दंड संहिता की 498ए और 420 धारा, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित

धारा और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान याचिकाकर्तओं के विरूद्ध लिया है।

2. अभियोजन पक्ष का मामला, जैसा कि सूचक श्वेता सिंह की लिखित रिपोर्ट से सामने आया है, यह है कि उसकी शादी हिंदू संस्कार, अधिकार एवं परंपरा के अनुसार दिनांक 28.02.2011 को सह-अभियुक्त अंजनी कुमार के साथ हुई थी। आरोप के अनुसार, यहां तक कि सह-अभियुक्त अंजनी कुमार ने सूचना देने वाले के साथ धोखाधड़ी के साथ विवाह की थी और विवाह के बाद उसे उसके पति द्वारा मानसिक और शारीरिक प्रताडना दी गई थी।शादी के बाद, उन्होंने पटना में अपने पति के साथ रहना शुरू कर दिया, जहाँ उनके पति ने उनका मानसिक और शारीरिक शोषण किया और पटना में पांच दिन रहने के बाद, उनके पति मुंबई चले गए। लेकिन टेलीफोन पर पति उसे अपने माता-पिता से फ्लैट की मांग करने के लिए कहता था। आगे के आरोप के अनुसार, पति के माता-पिता और बहन भी सूचक के साथ दुर्व्यवहार करते थे और दहेज की मांग करते थे। इसके बाद, उसके माता-पिता ने जनवरी, 2011 में मुंबई में पति (सह-अभियुक्त) और सूचक के संयुक्त नाम पर एक रू0 15,00,000 का फ्लैट खरीदा तथा उसके माता-पिता द्वारा 5,00,000 रुपये का अतिरिक्त दहेज देने के बाद भी, अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा उसे अपर्याप्त दहेज के लिए ताना मारा गया था। *ससुराल* में एक महीने तक रहने के बाद, उन्हें उनके पति किराए के घर में रहने के लिए वापस मुंबई ले गए। उनके पति चार पहिया वाहन और एक फ्लैट की मांग करते थे । वह गर्भवती हो गई, मगर गर्भवती होने के बाद भी, उसे उसके पति और सास के द्वारा तंग किया जाता था । उन्होंने एक निजी कंपनी में नौकरी भी की। हालाँकि, दिनांक 27.11.2011 को, वह मुंबई से बेगुसराय आई और एक बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद भी वाहनों की मांग बनी रही। उसे पूरा न करने के कारण उसे परेशान किया जाता था। 23 मई, 2012 को उन्हें उनके पति फिर से मुंबई

ले गए और अपने माता-पिता द्वारा खरीदे गए फ्लैट में रहने लगीं। उक्त मांग पूरी न होने पर उसके पति व अन्य आरोपियों द्वारा उसे परेशान किया गया। यह भी अभिकथित है कि अभियुक्त व्यक्तिों के द्वारा गर्भावस्था के दौरान, उसे गर्भ हटाने के लिए दबाव बनाया जाता था।

3. याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता, राज्य के लिए अपर लोक अभियोजक और सूचक के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना।

4. याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता निर्दोष हैं और उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि सभी याचिकाकर्ता, पति के अलावा हैं और सूचक और उसके पति (सह-अभियुक्त अंजनी कुमार) के बीच विवाहस्वरूप संबंध न रहने के कारण, उन्हें सूचक द्वारा गलत तरीके से फंसाया गया है।यहां तक कि लिखित रिपोर्ट में लगाए गए आरोप के अनुसार, मुख्य आरोप पति के खिलाफ है और उन्हें केवल पूरे परिवार को परेशान करने के लिए शामिल किया गया है। इसके अलावा, उनके द्वारा प्रताड़ना की प्रकृति, तारीख व स्थान से संबंधित उनके खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ न्यायिक विचार को लागू किए बिना और उनके खिलाफ कोई ठोस सामग्री पाए बिना केवल यांत्रिक रूप से संज्ञान लिया है।

5. हालांकि राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक और विपक्षी संख्या -2 के लिए विद्वान अधिवक्ता ने विवादित आदेश का जोरदार बचाव किया और कहा कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भी समन जारी करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री है। विपक्षी संख्या -2 के लिए विद्वान अधिवक्ता यह भी प्रस्तुत करते हैं कि सूचक और उसके बेटे, जो विवाह से पैदा हुए हैं, का पालन-पोषण उसके पति द्वारा नहीं किया जा रहा है, और इसलिए, वह अपने बेटे के साथ अपने माता-पिता के घर में रह रही है।

6. मैंने अभिलेख पर सामग्री का अवलोकन किया और दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों पर विचारपूर्वक विचार किया।

7. लिखित रिपोर्ट और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन से, मुझे याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कथित अपराध करने की तारीख और स्थान से संबंधित कोई विशिष्ट आरोप नहीं मिलता है। ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ताओं को सूचक के द्वारा पूरे परिवार को परेशान करने के इरादे से अपने पति के साथ शादी न करने के कारण शामिल किया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लगातार यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सामान्य और सर्वव्यापी आरोप के माध्यम से पति के रिश्तेदारों को वैवाहिक विवाद में गलत तरीके से फंसाने के लिए विकसित किया गया और यदि इस तरह की प्रवृत्ति को अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग हो सकता है। (**कहकशान कौसर @ सोनम और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य (2022) 6 एस. सी. सी. 599**) का संदर्भ लें।

8. **पेप्सी फूड्स लिमिटेड और अन्य बनाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट और अन्य, [(1998) 5 एस. सी. सी. 749],** माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि आपराधिक मामले में किसी आरोपी को तलब करना एक गंभीर मामला है और निश्चित रूप से आपराधिक कानून को लागू नहीं किया जा सकता है।

9. **हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल [1992 पूरक (1) एस. सी. सी. 335]** के प्रसिद्ध निर्णय में, माननीय सर्वोच्च अदालत ने अन्य बातों के अलावा यह भी माना है कि एक आपराधिक कार्यवाही जाहिर तौर पर दुर्भावनापूर्ण तरीके से पेश किया जाता है और जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियुक्त से बदला लेने के लिए शुरू की जाती है और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसका विरोध करने की दृष्टि से, आ.दं.सं. की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्ति को न्यायालय द्वारा

न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए लागू किया जा सकता है।

10. इसलिए, विवादित आदेश कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है। यह आ.दं.सं. की धारा 482 के तहत रद्द किए जाने के लिए उतरदायी है।

11. तदनुसार, विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बेगुसराय के द्वारा नगर थाना कांड संख्या-60/2015 में दिनांक 17.12.2015/04.01.2016 को पारित विवादित आदेश को रद्द किया जाता है तथा वर्तमान आपराधिक अपील को स्वीकृत की जाती है।

(जितेंद्र कुमार, न्यायमूर्ति)

रविशंकर/शोएब

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।